भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3289
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समक्ष समस्याएं

3289. प्रो. सौगत राय:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खंडित आपूर्ति श्रृंखला, अपर्याप्त शीत भंडारण और गोदाम सुविधाओं, खराब परिवहन बुनियादी ढांचे, असंगत गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों और जटिल नियामक वातावरण के मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनरीकरण की कमी की समस्या से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मौसमी उत्पादों की खरीद के लिए प्रदान की गई सरकारी सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उद्योग को पर्याप्त भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क, 394 शीत श्रृंखला परियोजनाओं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं, 536 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

पीएमएफएमई स्कीम के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए चालू है। 28 फरवरी, 2025 तक देश में पीएमएफएमई केअंतर्गत सहायता के लिए कुल 1,27,758 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय की सहायता करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए चालू है । अब तक देश में 28 फरवरी, 2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सहायता के लिए 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को मंजूरी दी गई है ।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ाना आदि शामिल है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकें, कृषि उत्पाद की बर्बादी कम हो और प्रसंस्करण स्तर बढ़े।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के अंतर्गत स्टैंडअलोन शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। परंतु, यह पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं केअंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में शीत श्रृंखला अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीत भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाती है।

*****